प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- स्वतं का ला सम्मान यानियां के ग्राम - प्रामा का नाम निवारिका।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम <u>अर्थाड</u> विवायन तहसील-<u>स्तर</u> , जिला-<u>इन्छाड</u>)

अनापित प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड में जनपद अन्तर्गत के अन्तर्गत के अन्तर्गत हैं। अरक्षित वन भूमि, हैं। सिवल सोयम भूमि हैं। वन पंचायत भूमि हैं। अर्थात कुल के एक में अपन सम्मान के निर्माण के एक में अपन सम्मान के प्रमान के एक में अपन सम्मान के एक स्थापन सम्मान सम्मान के एक स्थापन सम्मान सम्मान

विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेत् आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम वर्षात्र हिंदि को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्राप्त सचिव कारी आम् सचिव कारी प्रधान ट्राम का प्रधान ट्राम का प्रधान ट्राम खण्ड – सल्ट (अल्सोडा)

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपन्न-23.1

13-10-2014

दिनांकको ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रिलाभाउँ दिवाधका

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	, हस्ताक्षर
1 -	मी उन्दासिक किए	X //
2 -	भूति कावराम् क्रिक	Dog -
3 -	नारी आन-दार्धह	Jan 1918
4 -	अपी नारायाम गरेगह	
5-	भागे चत्रमासिह	913 14 12 17 (9)
6-	TI STELLOUTHE	a panedo
7-	भूरी अनुप्राचित्र	2174748
8-	की देशिए ह	tal 210/C
9-	भी रिशाविक	211/1000
10	91 adastas	dela dellas
11	भार महत्यामह	
12	ना है राभायह	
13	भी भाषालानिह	
14	भार नरारमंड	12/12
15	कार भाजामह	Miner
16	क्षी गामिह	
17	911 342191118	/
18	211-617 6	Birgh
19	भा रव प्रामह	
20	200 -0-100	- BYCK

2) भीषाती वयन्ती द्वी

प्रधान केमला

ग्राम एचायत – थलमाड

क्षि क्षीठ दे<u>वायल</u> ग्राम प्रभातः (अल्मोडा परियोजना का नाम :- स्वतना समा समान कारिक के ग्राम भ अपाद तक बोट पर्मा

कार्यालय उप जिलाधिकारी, <u>रात्य</u> अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, स्यत्य

जपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत परिक्षेत्र के अन्तर्गत रिरोप समानिए। हैं। अरिक्षित वन भूमि, हैं। सिविल एवं सोयम वन भूमि। शिक्षित वन भूमि का पंचायत भूमि, अर्थात कुल हैं। वन भूमि का जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

श्री विकास विभाग अध्यक्ष प्रभागीय वनाधिकारी <u>राजा क</u> सदस्य सदस्य अध्यक्ष श्री श्री विवास समाज कल्याण अधिकारी सदस्य सिचव स्वास्य स्वास

िकास स्था सत्ट (अत्मोद्धा) विषयण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी कि कि की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया

भूमि जा-क्रिया रववर क्रिक क्रिक विकास के जाम श्री के जाम क्रिक वन

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक, में सर्वसम्मित से उपखण्ड	परिक्षेत्र के अन्तर्गत
The state of the s	
हैं। वन भूमि भू प्राप्त एजेन्सी को जनहित	त में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।	
	उप जिलाशिकारी / अक्ष्यक्ष
	उपखण्ड स्तरीय येन अधिकार समिति
1.	तहसील— जनपद
	23-100115)
TOPA O	***
प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अर्गा	को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
	- saddy
	उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
7)	उपखण्ड स्तरीय/वन आधकार समिति तहसील—
1 Anish	जनपद्
Almon)	20100119)
To restunct	
AC 9717	
नागल सिंह बाहान	

After serutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place: Almora

Date:

ord Signature 10

(Full name of the official seal of the District Cotlector)

'It is further certified that

S.N.	·	Remarks
(a)	The complete process for identification and	Not applicable as there are no
8	settlement of right under the FRA has been carried	habitats belonging to scheduled
	out for the entire het. of forest area proposed	tribus and other Traditional forest
	for diversion/copy of records of all consultations and	Dwellers.
	meetings of the forest Rights committee(s) and the	
	District level Committee are enclosed annexure 1 to	
	annexure.	
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed	Not applicable as there are no
	by the Government as required under section 3(2) of	habitats belonging to scheduled
	the FRA have been Complete and the Gram Sabhas	tribes and other Traditional forest
	have given their consent to it.	Dwellers there is no objection
		certificate of concerned motor
		road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of	Not applicable as there are no
	primitive Tribal Groups and preagricultural	habitats belonging to scheduled
	communities.	tribes and other traditional forest
		Dwellers.

Encl:As above

(Full name of the official seal of the District Collector)

FORM-1 Government of Uttarakhand

Office of the District Collector : Rudraprayag No :	
TO WHOMSOEVENT IT MAY CONCEREN	
In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of Section 11-9/98-EC(pt) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guid submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers)Rocognitation of Forest Ri 006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes r	leline on ght under ght, Act
MoEF's letter dated 5 th February 23013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect	ead with
rojects. It is certified that 2.2.5hectares of forest land proposed to be diverted in	favor of
Construction of Suthing Sangram Senant Village That Poad	lmak.
That may village(s) in SaltTehsils.	
It is further Certified that:	
(a) The complete process for identification and settlement of rights under the I been carried out for the entire. Hactares of forest area proposed for d A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Comm	iversion.
Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Commenclosed as annexure I to-annexure.	
(b) The diversion of forest land for facilties managed by the Government as require section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their conse	
(c) The proposal dose not involve recognized of primitive Trible Groups agricultural communities.	and pre-
ncl:As above	2:4 00
MONT TO GOOT O	WITH THE

(Full name of the official seal of the District Collector)

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :- स्वतंन्त्रला रमेगाम के गाम प्रताम

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद. १८०४/१९ के अन्तर्गत प्रस्तावित विश्वास एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98—एफ०सी० दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा—सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी खरमोड़ा

a condition and a large large

जिलिधिकारी

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रंता सेनानी के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग का निर्माण। (6.00किमी.) (2.205है0)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित कार्य परियोजना निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य हेतु गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता है। इस हेतु ग्राम देवायल, पटवारी क्षेत्र देवायल, तहसील सल्ट, जिला अल्मोड़ा के खाता संख्या 54 की 4.410हे0 सिविल भूमि चयनित कर ली गई है। उक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि की प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त

उपरोक्त भूमि का अमल दरामद (Mutation) वन विभाग के नाम कर दिया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत (अल्मोडा)

सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधियार्गी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत (अल्मोड़ा)

पटनारी,

नाशलतहसील संस्टा विषर

तहसीलदार, पल्ट

उपजिलाधाकरी, सल्ट(अल्मोड़ा) परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रंता सेनानी के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग का निर्माण। (6.00किमी.) (2.205है0)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रंता सेनानी के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग के निर्माण में 4.410है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि की आवश्यकता है, जिसके एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम देवायल के खतौनी खाता सं0 54 की 4.410है0 सिविल भूमि उपलब्ध है तथा राजस्व विभाग को वृक्षारोपण हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

अपर सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत (अल्मोडा) सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिष्ट्रामुमी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत (अल्मोड़ा)

्रायाल तहसील संस्ट्रा है।

पटनारी, सील सरहा दिवार

तहसीलदार, जिला-पर्सल्ट

Ban Bhumi Deghat-Nachulakhal to Chantharkhadi motor road-67

विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम परियोजना का नाम थलमाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेत् स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण में २ २ २ ६० वन भूमि प्रभावित हो रही है जिसके एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम के खतौनी खाता संo कि कि सिविल भूमि उपलब्ध है तथा राजस्व विभाग को वृक्षारोपण हेतु कोई आपत्ति नही है।

अपर सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत (अल्मोड़ा)

सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिश्रासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत (अल्मोड़ा)

जियो रेफेरेंस मैप – जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रंता सेनानी के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर 🗆 मार्ग से जोड़ने हेत् 0.3 0.15 Scale - 1:10.000 79°9'0"E 79°9'20"E 79°9'30"E 79°9'10"E 79°9'40"E 79°9'50"E 16 29°39'10"N A. 15 14 17 N..0,62,62 13 12 19 20 29°38'50"N 21 10 8 22 23 29°38'30"N 25 24 26 38'20"N 27 **LONGITUDE LATITUDE** ID LONGITUDE **LATITUDE** 28 79° 8' 58.921" E | 29° 38' 22.023" N | 16 | 79° 9' 34.917" E | 29° 39' 12.085" N 79° 8' 59.219" E 29° 38' 28.174" N 17 79° 9' 34.119" E 29° 39' 4.711" N 79° 9' 1.544" E 29° 38' 35.500" N 18 79° 9' 32.884" E| 29° 38' 59.730" N 29 79° 9' 5.613" E 29° 38' 35.970" N 79° 9' 41.600" E 29° 38' 54.377" N 79° 9' 11.729" E 29° 38' 35.297" N 20 79° 9' 42.260" E 29° 38' 51.876" N 79° 9' 17.890" E 29° 38' 35.817" N 79° 9' 44.675" E| 29° 38' 49.161" N 21 79° 9' 20.408" E | 29° 38' 41.395" N 79° 9' 45.898" E 29° 38' 42.024" N 79° 9' 18.775" E 29° 38' 46.540" N 23 79° 9' 45.750" E | 29° 38' 34.692" N 79° 9' 23.696" E 29° 38' 50.411" N 24 79° 9' 45.058" E 29° 38' 27.973" N 79° 9' 25.107" E | 29° 38' 48.406" N 25 79° 9' 47.846" E| 29° 38' 28.281" N 79° 9' 32.335" E 29° 38' 47.752" N 26 79° 9' 44.710" E| 29° 38' 23.943" N 79° 9' 26.773" E 29° 38' 55.351" N 27 79° 9' 46.656" E 29° 38' 22.216" N 29° 38' 59.886" N 28 79° 9' 44.457" E 29° 38' 20.403" N 79° 9' 25.469" E Legend 79° 9' 29.892" E| 29° 39' 3.936" N **GPS** Coordinates 29 79° 9′ 43.849" E 29° 38′ 16.018" N Proposed Road 79° 9' 33.113" E 29° 39' 7.006" N **Existing Road** 79°9'0"E 79°9'10"E 79°9'20"E 79°9'30"E 79°9'40"E 79°9'50"E

जियो रेफेरेंस मैप -जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रंता सेनानी के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल Scale - 1:2,500 79°9'0"E 79°9'6"E 79°9'3"E 79°9'9"E 79°9'12"E 29°38'36"N 15 13 10 14 12 29°38'33"N 29°38'30"N 3 6 29°38'27"N **LONGITUDE** ID **LATITUDE** 79° 9' 1.825" E 29° 38' 34.689" N 79° 9' 2.677" E 29° 38' 32.453" N 79° 9' 3.973" E 3 29° 38' 30.613" N 79° 9' 4.782" E 29° 38' 28.651" N 4 29°38'24"N 79° 9' 6.991" E 29° 38' 28.283" N 29° 38' 29.155" N 79° 9' 9.082" E 6 79° 9' 11.811" E 29° 38' 29.516" N 79° 9' 13.152" E 29° 38' 31.467" N 8 79° 9' 13.361" E 29° 38' 32.969" N 79° 9' 10.911" E 29° 38' 34.096" N 29°38'21"N 79° 9′ 10.610" E 29° 38' 33.343" N 11 79° 9' 8.952" E 29° 38' 33.547" N 12 79° 9' 6.513" E 29° 38' 34.710" N 13 Legend 79° 9' 4.280" E 29° 38' 33.645" N **GPS** Coordinates 79° 9′ 2.186″ E 29° 38' 34.827" N Proposed CA Land 79°9'6"E 79°9'0"E 79°9'3"E 79°9'15"E 79°9'9"E 79°9'12"E

सतिपुरक वृद्धारीयम स्थल चपयुक्तता प्रमाण-पत्र

कार्य का जाम :- जनपद अल्योज में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के ग्राय थलयाड़ को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताल]

लंबाई - ६०० कियी.

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण के लिये देशाया सिविता भूमी प्रस्तावित क्षेत्र प्रबन्धकीय व नवीकरण दृष्टिकोण से उपयुक्त है।

प्रान्तीस्य का लोठनिवविव राजीखेत

(सुनिस चूगाव सिंह) क्रिनेष्ठ अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोवनिवविव रानीखोत

(शशोक कुभार) राहायक आधियन्ता, ग्रान्तीय खण्ड, लोठनिठविठ पनीखेत

(कें) एस० असवास) अधिशासी अधियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोठनिठविठ રાનીહોત'

बन्मोडा वस बभाग अन्मोबर

प्रणागीय वनाधिकारी

धरमोड्डा वत् प्रधागः अल्मोड्डा

वन भूमि की मांग का औचित्य

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रंता सेनानी के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण (6.00किमी.) (2.205है0)

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 2454 / 111-2 / 05 (प्रा. आ.) / 05 दिनांक 28.10.2005 के द्वारा 6.00 किमी. लम्बाई हेतु ₹ 83.40 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है। यह मार्ग थलमाड़ गांव को सड़क से जोड़ने हेतु निर्मित किया जाना है। थलमाड़ गांव की कुल आबादी 402 है। प्रस्तावित समरेखण में कुल 3150मी0 लम्बाई (2.205है0) में सिविल बेनाप भूमि प्रभावित हो रही है, जिसमें 15 वृक्षों पातन की आवश्यकता होगी। थलमाड़ गांव को सड़क से जोड़ने हेतु इस समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, जिसमें सड़क निर्माण हेतु इससे कम वन भूमि प्रभावित हो रही है।

उक्त परियोजना हेतु की जा रही है वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

> सहायक अभियन्ता, गन्तीय खेण्ड, लोक चिर्माण विभाग

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

ईको-क्लास एवं देय एन.पी.वी. का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो
के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु याचित
भूमि. २१.२० है० व बन भूमि का ईको-क्लास
है। एन.पी.वी. के धनराशि 2:205 X 8:35, क्क = 18,63,225= 60
=
(रूपये व्याद्वात लास्त्र लेसट इत्यार दो सी प्रत्येस्थान मात्र) निर्धारित है।

व्यागीय बनाधिकारी उप प्रभागीय वनाधिकारी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता. प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

Ph. No. 05966-220679 Fax No. 05966-220679

E-mail - eepdrani@yahoo.com

दिनांक रानीखेत, 21

,2016

सेवा में.

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोडा।

विषय :--

जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रंता सेनानी के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु।(प्रस्ताव संख्या 10556/2015)

सन्दर्भ :--

आपका पत्रांक मैमो / 12-1(2) दिनांक 30.05.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 30.05.2016 को प्रस्ताव में लगाई हुई

आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	Short narrative of the project does not give adequate information about the proposal (Online para-A-1(iii) of part-I)	Short narrative of the project giving adequate information about the proposal (Online para-A-1(iii) of part-I) has been submitted.
2.	The period for which forest land is proposed to be diverted is mentioned as NIL (Online para $A-1(x)$)	The period for which forest land is proposed mentioned. (Online para A-1(x))
3.	Online application is made by shri Kundan Lal Verma (Online para-A-3(i), (ii) & (iii) but the authorization letter is issued in favour of shri Satish Chandra Arya(Online para A-3(xvii))	Authorization letter named of shri Kundan Lal Verma attached.
4.	Component wise breakup of forest land required is not provided in para-B-2.4 of online part-I.	Component wise breakup of forest land is provided in para-B-2.4 of online part-I.
5.	Soft copy of the geo-referenced map showing the forest land proposed for diversion is submitted in Googel Earth Map (Kml file) which does not serve the useful (shp file) showing geo-coordinates i.e. latitudes and longitudes at regular interval of 200 m to 300 m including all turning points (curves) along the alignment of the road to be prepared through GIS software.	Soft copy of the geo-referenced map showing the forest land proposed for diversion is submitted in Googel Earth Map (Kml file) showing geo-coordinates i.e. latitudes and longitudes at regular interval of 200 m to 300 m including all turning points (curves) along the alignment of the road indicated in the GIS software.
6.	Scanned copy of the map prepared by using GPS i.e. the geo-referenced digital map showing geo-coordinates at regular interval of 200 m to 300 m including all turning points (curves) along the alignment of the road to be prepared through GIS software has not been attached at para-B-2.4 instead, sol Toposheet map showing geo-coordinates at start and ent point only is attached.	Scanned copy of the map prepared by using GPS i.e. the geo-referenced digital map showing geo-coordinates at regular interval of 200 m to 300 m including all turning points (curves) along the alignment of the road prepared through GIS software has been attached at para-B-2.4 instead, sol Toposheet map showing geo-coordinates at start and ent point only is attached.
7.	In para-D of online part-I justification for rejection of alternatives examined has not been provided.	In para-D of online part-I justification has been attached.

क्रमशः पेज-2 पर

8. The forest land proposed for diversion is mentioned as 1.347 The forest land proposed ha instead of 2.205 ha in all the documents concerning FRA corrected & mention	1 C. 1' '
ha motera of 2.205 ha in an the documents concerning TRA confected & mention	
para-K of online part	ing FRA attached in
	e part-I, 38 additional
	en uploaded. The title
	e given in the remarks
	e document at sr. 1, 2,
37 & 38.	, and the second
10. In online part-II, density is mentioned as 0.2 but, 7 trees per In online part-II,	density would be
hectare may not account for 0.2 density. removed by the DFO	
11. As per details given in online part-I & Part-II, CA is As per details given	n in online part-I &
Proposed over 3.00 ha instead of 4.41ha (2.205 ha x2) Part-II, CA is correct	cted as 4.41ha (2.205
Dewayal Civil Land. ha x 2) on Dewayal (
	geo-refernced map
proposed for CA is submitted in Google Earth Map (Kml showing the area p	proposed for CA is
file) which does not serve the useful pupose. State Govt. submitted in Google	Earth Map (Kml file)
	e geo-referenced map
	d for CA in Shapefile
	geo-coordinates of all
in the second points at	ong the periphery of
the polygon submitte 13. A copy of survey of India Toposheet is attached in place of Scanned copy of the	
The production of the state of	e geo-referenced map
	proposed for C.A. at
	e part-II. Prepared by station showing geo-
	ne corner points along
showing geo-coordinates of all the corner points along the the periphery of the p	nolvoon
periphery of the polygon.	polygon.
14. Scanned copy of the Google Earth map of the forest land Scanned copy of t	the Survey of India
proposed for C.A. is attached in place of copy of Survey of Toposheet at para-1:	3(iii) of online part-
India Toposheet at para-13(iii) of online part-AA. AA attached.	, , part
15. The suitability certificate for the area proposed for CA has The suitability certificate for the area proposed for CA has a suitability certificate for th	ficate for the area of
not been uploaded with CA scheme in online part-II. CA is attached.	u.
16. NPV calculation is attached as additional document but, the NPV calculation is a	attached as additional
area in mentioned at 2.50 ha instead of 2.205ha. document, the are	ea is corrected &
mentioned at 2.205 h	a instead of 2.50ha.
17. May provide hard copy of part-I & part-II signed by the Online submission o	of part-I and part-II is
User Agency and DFO exactly similar to what has been similar of hard copy.	****
uploaded online to be placed in the hard copy of the	
proposal. 18. Signed copies of part III. IV and part V are not attached in The information of a	
The information of	part-III, IV and V is
the copy. not related to user ag	ency.

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खुण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।